पत्रांक /   /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 04 /14–15/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः: देहरादून ::23 सितम्बर 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

परिपत्र
(नियम–9 के उपनियम (10) के अन्तर्गत)

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम–2005 के नियम 9(10) के अन्तर्गत, परिपत्र संख्या 43/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/2011–12/वाणिज्य कर/देहरादून दिनांक 05 अप्रैल, 2011 द्वारा ऑनलाइन दाखिल पंजीयन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देश के बिन्दु 7 एवं 8 में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि गैर संवेदनशील मामलों में अभिलेखों का सत्यापन व प्रारम्भिक जांच वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसके उपरान्त पंजीयन जारी किये जाने का दायित्व खण्डाधिकारी का रहेगा।

उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुये गैर संवेदनशील मामलों में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा अभिलेखों की जांच के उपरान्त पंजीयन जारी किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं :–

निर्देश–

1. संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन दाखिल पंजीयन आवेदन पत्रों के निस्तारण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही यथा पंजीयन सम्बन्धी अभिलेखों का सत्यापन सहित विधिक कार्यवाही (पत्रांक 43 दिनांक 05.04.2011 में विहित प्रक्रियानुसार) तथा व्यापार स्थल की जांच असिस्टेण्ट कमिश्नर द्वारा की जाएगी।
2. परिपत्र संख्या 43/आयु0क0उत्तरा0/विधि–अनु0/2011–12/वाणिज्य कर/देहरादून दिनांक 05 अप्रैल, 2011 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में अभिलेखों का सत्यापन व प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा गैर संवेदनशील मामलों में दो कार्यदिवसों के अन्दर व्यापारी को टिन नम्बर मय प्रभावी दिनांक के आवंटित कर दिया जाएगा जिसकी सिस्टम जेनरेटेड सूचना प्रार्थना पत्र में व्यापारी द्वारा घोषित मोबाइल फोन एवं ईमेल पर चली जाएगी। आवंटन के सम्बन्ध में टिन एवं उसकी प्रभावी दिनांक का अंकन प्रार्थना पत्र के प्रथम पृष्ठ पर करते हुए वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा दिनांकित हस्ताक्षर करके अपने नाम

व पदनाम की स्पष्ट मोहर अंकित कर दी जाएगी तथा पत्रावली सम्बन्धित कर्मचारी को प्राप्त करा दी जाएगी।

3. गैर संवेदनशील मामलों में वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा टिन जारी करने के उपरान्त यदि असिस्टेण्ट कमिश्नर, समझते हैं कि व्यापार स्थल की जांच अथवा किसी बिन्दु विशेष पर जांच करना आवश्यक है, अथवा व्यापारी द्वारा दाखिल किसी दस्तावेज की जांच करने वाले व्यक्ति/अधिकारी से सत्यापित करना आवश्यक है, अथवा प्रार्थना पत्र में घोषित तथ्यों की अन्य स्रोत से जांच करवाना आवश्यक है तो ऐसी जांच अपने अधीनस्थ अधिकारी से करवा सकते है। जहां वे आवश्यक समझे स्वयं भी कर सकते हैं अथवा व्यापारी से अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकते हैं।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2824 /दिनांक उक्त। 23-09-14

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।

3— सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।

6— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

7— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

8— **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधिनस्थ समस्त** अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9— **श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन) वाणिज्य कर काशीपुर एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

11— **आई0टी0—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

12– Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महराष्ट्र।

13– National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

14– National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15– Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16– Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

17– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।

18–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

19– प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

20– दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

21– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।

22– The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।

23– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

24– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

25– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।